

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7485/2007

- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक, ज्योति नगर, जयपुर के माध्यम से।
- सहायक अभियंता, 132 के.वी. जी.एस.एस., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, नवलगढ़, जिला झुंझुनू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
- जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, झुंझुनू।
- अपीलीय और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए

:

श्री जी.सी. गर्ग

श्री आलोक गर्ग,

सुश्री सोनल सिंह के साथ

प्रतिवादी के लिए

:

श्री एस.एस. नारुका, एएजी

श्री देवांशु गुप्ता, एजीसी

श्री चिन्मय सक्सेना, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

10/07/2024

1. यह याचिका दिनांक 06.08.2007 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है जिसमें अपील और दिनांक 17.05.2005 के मांग नोटिस को खारिज कर दिया गया था।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता बिजली के वितरण में लगा हुआ है। वर्ष 1980 में, पंजीकरण संख्या आरआरबी 2250 वाला एक ट्रैकर खरीदा गया था और मोटर वाहन कर (इसके बाद 'कर' के रूप में संदर्भित) जिला परिवहन अधिकारी (इसके बाद 'डीटीओ' के रूप में संदर्भित) के पास जमा किया गया था। 05.05.2005 को, याचिकाकर्ता द्वारा डीटीओ को एक आवेदन दिया गया था कि ट्रैकर 2002 से सड़क पर नहीं है, पंजीकरण प्रमाणपत्र और टोकन नंबर के साथ सरेंडर किए गए दस्तावेजों की स्वीकृति की व्यवस्था करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किए गए थे। कराधान अधिकारी ने दिनांक 17.05.2005 के नोटिस के माध्यम से 29.09.1980 से 31.03.2006 की अवधि के लिए 2,25,675/- रुपये की मांग वसूलने की कार्यवाही की। मांग नोटिस से व्यथित होकर, अपील दायर की गई थी और अपील खारिज होने पर वर्तमान याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलीय प्राधिकारी ने न तो डीटीओ, झुंझुनू द्वारा जारी दिनांक 13.04.2005 के प्रमाण पत्र पर विचार किया जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि कर 2004-05 तक जमा किया गया था। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं था और दस्तावेजों को सरेंडर करने के लिए एक आवेदन

मई 2005 से लंबित था। उनका तर्क है कि गैर-सुस्पष्ट आदेश द्वारा, अपील को खारिज कर दिया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया।

5. एक तरफ 29.09.1980 से 31.03.2006 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कर की मांग की गई थी और दूसरी तरफ, डीटीओ, झुंझुनू ने 2004-05 तक कर के भुगतान का प्रमाण पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ता ने परिवहन विभाग के साथ दस्तावेजों को सरेंडर करने के लिए कदम उठाए थे क्योंकि वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं था। आवेदन के लंबित होने और डीटीओ, झुंझुनू द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार किए बिना, अपील को खारिज कर दिया गया था। अपीलीय आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार नहीं किया गया था। यह एक स्थापित कानून है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को एक सुस्पष्ट आदेश पारित करना होता है और प्रभावित पक्ष को कारण बताना होता है। दिनांक 06.08.2007 के अपीलीय आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से अपील पर निर्णय ले सके।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(आशुतोष कुमार),जे

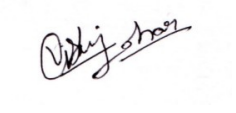
(अवनीश झिंगन),जे

चंदन/तनिषा/9

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग

नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़